

## राष्ट्रीय न्यायिक आयोग वधियक, 2022

### प्रलिस के लयि:

कॉलेजियम प्रणाली, Collegium System, 99 वां संवधान (संशोधन) अधिनियम, 99th Constitution (Amendment) Act, भारत के मुख्य न्यायाधीश, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1981।

### मेन्स के लयि:

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये संवैधानिक प्रावधान, कॉलेजियम प्रणाली का विकास, कॉलेजियम प्रणाली से संबंधित मुद्दे, प्रतिनिधि न्यायपालिका की ओर।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग वधियक, 2022 को संसद में प्रस्तुत किया गया।

## वधियक की मुख्य वशिषताएँ क्या हैं?

- **नियुक्ति की प्रक्रिया को वनियमिति करता है:**
  - वधियक का उद्देश्य भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों एवं अन्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति हेतु लोगों की सफारिश करने के लिये राष्ट्रीय न्यायिक आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को वनियमिति करना है।
- **स्थानान्तरण को वनियमिति करना:**
  - इसका उद्देश्य उनके स्थानान्तरण को वनियमिति करना और न्यायिक मानकों को निर्धारित करना तथा न्यायाधीशों की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के दुरुव्यवहार या अक्षमता के लिये व्यक्तिगत शिकायतों की जाँच हेतु वशिषसनीय और समीचीन तंत्र स्थापित करना और वनियमिति करना है।
- **एक न्यायाधीश को हटाना:**
  - यह एक न्यायाधीश को हटाने के लिये कार्यवाही के संबंध में और उससे जुड़े मामलों या प्रासंगिक मामलों के संबंध में राष्ट्रपति को संसद द्वारा एक अभिषण प्रस्तुत करने का भी प्रस्ताव करता है।

## राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) क्या था?

- **NJAC:**
  - अगस्त 2014 में, संसद ने NJAC अधिनियम, 2014 के साथ संवधान (99वां संशोधन) अधिनियम, 2014 पारित किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक स्वतंत्र आयोग के गठन का प्रावधान है।
- **NJAC की संरचना:**
  - पदेन अध्यक्ष के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश
  - पदेन सदस्य के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश
  - पदेन सदस्य के रूप में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री
  - नागरिक समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्ति (एक समिति द्वारा नामित किये जाएँगे जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री और लोकसभा के वपिक्ष के नेता शामिल होंगे; प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से नामित किये जाने वाले व्यक्तियों में एक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पछिड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक या महिला)
- **राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (National Judicial Appointments Commission- NJAC) और कॉलेजियम प्रणाली में अंतर:**
  - **NJAC:**

- भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की सफिरशि NJAC द्वारा वरषिठता के आधार पर की जानी थी जबकि SC और HC के न्यायाधीशों की सफिरशि क्षमता, योग्यता और "नयिमें में नरिदषिट अन्य मानदंडों" के आधार पर की जानी थी।
- यह अधनियम NJAC के कसि भी दो सदस्य को सफिरशि संबंघी नरिणय पर वीटो करने का अधकार परदान करता था।
- कॉलेजियम प्रणाली:
  - **कॉलेजियम प्रणाली** में, वरषिठतम न्यायाधीशों का एक समूह उच्च न्यायपालिका में नयिकृतरि कर्ता है और यह प्रणाली लगभग तीन दशकों से चालू है।

## कॉलेजियम प्रणाली:

- सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम एक पाँच सदस्यीय नकिय है, जसिका नेतृत्व नवरिर्तमान **भारत के मुख्य न्यायाधीश** (CJI) करते हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के चार अन्य वरषिठतम न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं।
  - उच्च न्यायालय कॉलेजियम का नेतृत्व उच्च न्यायालय के नवरिर्तमान मुख्य न्यायाधीश और उस न्यायालय के दो अन्य वरषिठतम न्यायाधीश करते हैं।
- कॉलेजियम की पसंद या चयन के बारे में सरकार आपत्तकर सकती है और स्पष्टीकरण भी मांग सकती है, लेकनि अगर कॉलेजियम पुनः उन्हीं नामों की अनुशंसा करे तो सरकार उन्हें ही न्यायाधीशों के रूप में नयिकृतरि करने के लयि बाध्य है।

## न्यायाधीशों की नयिकृतरि संबंघी संवैधानकि प्रावधान

- **संवैधान के अनुच्छेद 124(2) और 217** क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नयिकृतरि के संबंघ में उपबंध करते हैं।
  - ये नयिकृतरि राष्ट्रपतद्वारा की जाती हैं जसके लयि वह "उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श के पश्चात, जनिसे राष्ट्रपत इस प्रयोजन के लयि परामर्श करना आवश्यक समझे" की शर्त का पालन करता है।
- लेकनि संवैधान इन नयिकृतरि के लयि कोई प्रकरयि नरिधारति नहीं करता है।

## NJAC को अदालत में चुनौती देने का कारण:

- वर्ष 2015 की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने एक याचिका दायर की थी जसमें मौजूदा कानूनों के प्रावधानों को चुनौती दी गई थी।
- SCAORA का तर्क था कि **दोनों अधनियम "असंवैधानकि" और "अमान्य" थे।**
  - यह तर्क दयिा गया कि NJAC के नरिमाण के लयि परदान कयि गए 99वें संशोधन ने **"भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दो वरषिठतम न्यायाधीशों की सामूहकि राय की प्रधानता"** को अपरभावी कर दयिा क्योकि उनकी सामूहकि सफिरशि पर वीटो लगाया जा सकता है अथवा "तीन गैर-न्यायाधीश सदस्यों के बहुमत से नलिंबति" कयिा जा सकता है।
  - इसमें कहा गया है कि संशोधन ने **"गंभीर रूप से"** संवैधान की बुनयिादी संरचना को नुकसान पहुँचाया है, जसमें उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नयिकृतरि में न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक अभनि अंग थी।
- इसने यह भी तर्क दयिा कि NJAC अधनियम स्वयं "अमान्य" और "संवैधान के दायरे से बाहर" था क्योकि यह संसद के दोनों सदनों में तब पारति कयिा गया था जब मूल रूप से अधनियमति अनुच्छेद 124(2) और 217(1) लागू थे और 99वाँ संशोधन राष्ट्रपतकी स्वीकृति नहीं मली थी।

## आगे की राह

- **स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन:** वास्तवकि मुद्दा यह नहीं है कि कौन (न्यायपालिका या कार्यपालिका) न्यायाधीशों की नयिकृतरि करता है, बल्कि कसि प्रकार से उन्हें नयिकृतरि कयिा जाता है।
  - इसके लयि न्यायकि नयिकृतरि आयोग (JAC) की संरचना चाहे जो भी हो, न्यायकि स्वतंत्रता और न्यायकि जवाबदेही के बीच संतुलन बनाना महत्त्वपूर्ण है।
    - नयिकृतरि में कार्यपालिका की भूमिका होनी चाहयि लेकनि JAC की संरचना ऐसी होनी चाहयि कि इससे न्यायकि स्वतंत्रता से समझौता न हो।
- **न्यायपालिका के अंदर न्याय:** यह सुनश्चिति करने की आवश्यकता है कि न्याय परदान करने के लयि न्यायालय की संस्थागत अनविरयता न्यायपालिका के भीतर अवसर की समानता और न्यायाधीशों के चयन के लयि नश्चिति मानदंडों के साथ बनी रहे।
- **NJAC की स्थापना पर पुनर्वचार:** NJAC के अधनियम में उन सुरक्षा उपायों को शामिल करने के लयि संशोधन कयिा जा सकता है जो इसे संवैधानकि रूप से वैध बनाएँ साथ ही यह सुनश्चिति करने के लयि पुनर्गठति कयिा जाएगी कि बहुमत नयितरण न्यायपालिका के पास बना रहे।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न:

प्र. नमिनलखिति कथनों पर वचार कीजयि: (2019)

1. भारत के संवधान के 44 वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक पुनरावलोकन से परे कर दिया ।
2. भारत के संवधान के 99 वें संशोधन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वखिंडति कर दिया क्योकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

**??????**

**प्रश्न.** भारत में उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये । (2017)

**स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस**

PDF Refernce URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/national-judicial-commission-bill-2022>

